

P 51-2070



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 946402

51
8-1-2018

(1)

विक्रय विलेख

- | | | |
|--|---|---|
| 1. भूमि का प्रकार | : | कृषि |
| 2. वारस/परगना | : | बस्ती पूरब |
| 3. तप्पा | : | शिवपुर |
| 4. मोहल्ला/ग्राम | : | टिनिच शुक्ल |
| 5. सम्पत्ति का विवरण | : | चक होल्डर नं० 397 के गाटा सं० 16मि० व 16/1, व 17मि०, (यूनिक आईडी- चकबन्दी में है) |
| 6. मापन की ईकाई | : | हेक्टेयर |
| 7. सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : | 0.135 हे० |
| 8. सर्वेक्ष की स्थिति | : | कुछ नहीं |
| 9. अन्य विवरण | : | कुछ नहीं |
| 10. सम्पत्ति का प्रकार | : | कृषि भूमि |
| 11. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवना की स्थिति में) | : | कुछ नहीं |
| 12. कुल आच्छादित क्षेत्रफल | : | कुछ नहीं |
| 13. स्थिति-फिनिश/सेमीफिनिश/अन्य | : | कुछ नहीं |
| 14. पेड़ों का मूल्यांकन | : | कुछ नहीं है |
| 15. बोधिंग/कुआं/अन्य | : | कुछ नहीं |
| 16. निर्मित क्षेत्रफल | : | कुछ नहीं |
| 17. निर्माण का वर्ष | : | कुछ नहीं |
| 18. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है | : | नहीं |
| 19. प्रतिफल की धनराशि | : | मु० 16,26,245 / - रुपये |
| 20. सरकारी मालियत | : | मु० 5,51,120 / - रुपये |
| 21. स्टाम्प | : | मु० 81,350 / - रुपये |

Gini

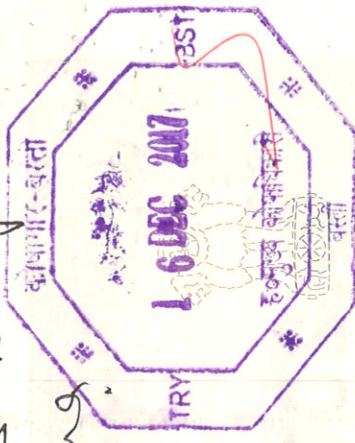


1-104-124



WCL Bar Pul Uter Jee tower Ds Bwing stakoor
Post no 3 See 29 Jung am Hayong

00005



बंगार पुल उतर जे तू
- 3 जंगम हायंग

504340 A

7

08/01/2008





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

चौहद्दी :-

पूरब:-

पश्चिम:-

उत्तर:-

दक्षिण:-

चक रोड एवं चक होल्डर नं० 119

चक होल्डर नं० 208

शेष रकबा सह खातेदार चक होल्डर नं० 397

रेलवे लाइन

यह विक्री विलेख उपनिबन्धक भानपुर जिला बस्ती दिनांक 31.11.18 के इस दिवस को तैयार और निष्पादित किया जाता है।

के मध्य

सत्यराम पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती एतद्वारा जिसे विक्रेता/प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ और उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी, वारिस, प्रशासक, निष्पादक, वकील और हस्ताक्षरिती आदि शामिल होंगे। मो० नं०-

और

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्राणलि० जो कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है जिसका पंजीकृत कार्यालय -IFFCO Tower- 1, B-Wing 5th Floor, Plot No. 3, Sector 29, Gurgaon, Haryana- 122001 है के द्वारा बोर्ड रेजोल्यूशन दिनांक 30 जनवरी 2017 एवम् ऑफिसिरी लेटर दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के द्वारा श्री सुनील चौरसिया पुत्र श्री मनोहर लाल को क्रेता के रूप में प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया है अतः श्री सुनील चौरसिया पुत्र श्री मनोहर लाल उक्त विक्रय विलेख में क्रेता/द्वितीय पक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एतद्वारा जिन्हें "क्रेता" के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, जिसका अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, और हस्ताक्षरिती आदि शामिल होंगे) मो० नं०-9205590148 Pan No. AAFCN5104N Tan No. RTKN04506F

1-04/18

(Signature)



NCML Bdr. Part of Office tower & B-wing-1 & 2
Dear Sirs 3 Sec 29 Company Hongkong

00000

16/12/2017
16/12/2017



804846 A

16/12/2017

20201-2018





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

A 946404

चूंकि तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्वामित्व/अधिकारों के राजस्व रिकार्ड के अनुसार, चक होल्डर नं० 397 के प्रस्तावित गाटा सं० 16मि० के कुल रकबे 0.026हे०, मे से कुल विक्रित रकबा 0.015 हे० दक्षिण से उत्तर 30मी० पूरब से पश्चिम 8मी०) व गाटा सं० 16/1मि० के कुल रकबे 0.023हे०, मे से कुल विक्रित रकबा 0.010 हे० (दक्षिण से उत्तर 30मी० पूरब से पश्चिम 4मी०) व गाटा सं० 17मि० के कुल रकबे 0.301हे० मे से कुल विक्रित रकबा 0.110हे० (दक्षिण से उत्तर 30मी० पश्चिम से पूरब 35मी० व चक होल्डर नं० 397की पूरब से पश्चिम की ओर पुरी चौडाई) कुल विक्रित रकबा 0.135 हे० का सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के मूल स्वामी प्रथम पक्ष है तथा विक्रेता अपने निज हिस्से की भूमि भी विक्रय कर रहा है।

और चूंकि एतदद्वारा विक्रेता के बीच यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त भूमि को बेचने पर सहमति हुई है, और आगे भी उपरोक्त भूमि के लिए इस अंतिम बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।, विक्रेता उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति/प्रधिकारी द्वारा भविष्य में दायर किये जाने वाले किसी भी प्रकार के दावे, मांग, अभियोग और/या कानूनी कार्यवाही के खिलाफ वर्तमान क्रेता को उसके मालिकाना अधिकारों और बिक्रीयोग्य स्वत्वाधिकार की क्षतिपूर्ति करेगा।

और चूंकि यहां विक्रेता के पास अपनी उपरोक्त संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वामित्व, कब्जा और निवास के पूर्ण अधिकार, स्वत्वाधिकार और हित प्राप्त हैं। वर्तमान विक्रेता के नाम भूमि अधिकारों के राजस्व/एकबन्दी रिकॉर्ड में दर्शाए गये हैं। उपरोक्त संपत्ति सभी शुल्क/प्रभारों से मुक्त है और विक्रेता के अधिकार मान्य, स्पष्ट, बिक्री योग्य और हस्तांतरणीय है और वह कानून के तहत प्रदान किये गये तरीके से उसी तरह से निपटने की हकदार हैं (जिसमें वर्तमान खरीदार को उसे बेचना शामिल है) निम्न दी गई परिस्थितियों और शर्तों और नियमों के अंतर्गत:-

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि वह किसी आदिवासी/जनजातीय/अनुसूचित जाति या किसी भी अन्य जाति या पंथ से संबंधित नहीं है, जिसके अंतर्गत खरीदार के पक्ष में उपरोक्त संपत्ति कानून के अंतर्गत हस्तांतरण करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

2-1041121





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

764659

764659

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अमिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी तटीय नियमों, आरक्षण, ग्राम समाज की जमीन तालाब, जंगल, खनन अधिग्रहण आदि के कोई प्रावधान कभी भी उसपर लागू नहीं हुए हैं और उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी अध्यादेश, अधिनियम, अनुच्छेद, नियम और विनियमों (राज्य या केंद्रीय) के तहत कोई अधिसूचना जारी/प्राप्त नहीं की गई है जिसके अंतर्गत विक्रेता खरीदार को कथित संपत्तियों की बिक्री या निपटान से रोका गया है।

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अमिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई अयोग या अन्य प्रकार की कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है। विक्रेता ने यह घोषित किया है कि कथित संपत्ति सभी लेनदेन व भार/बंधक से मुक्त, बिक्री योग्य और प्रभाररहित है और विक्रेता एकमात्र व्यक्ति है जो उस संपत्ति का पूर्ण हकदार है और विक्रेता क्रेता को क्षतिपूर्ति करने के लिये भी सहमत है और खरीदार, उसके निष्पादकों, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों और हस्तांतरितीयों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही, दावे, नुकसान, मुकदमे, लागत और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार को उन किसी अन्य व्यक्ति के दावों के परिणामस्वरूप खर्च करना या भुगतान करना पड़ सकता है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, खरीदार चक होल्डर नं० 397 के प्रस्तावित गाटा सं० 16मि० व 16/1मि० व गाटा सं० 17मि० कुल विक्रित रकबा 0.135हे० स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है जोकि विक्रेता अग्रिम रुपये 16,26,245/- मोट्रिक प्रतिफल के रूप में (रुपये सोलह लाख छब्बीस हजार दो सौ पैतालिस केवल) के एवज में खरीदने के लिये सहमत हो गया है जिसकी कीमत 48,75,000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से 0.135 हे० का मूल्यांकन मु० 16,26,245/-रुपये पर 5 प्रतिशत की दर से मु० 81,350/-रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन प्रतिनिधित्व और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, भूमि खरीद की प्रतिफल राशि क्रेता द्वारा विक्रेता को निम्नानुसार भुगतान कर दी गई है:

2-10-11/12

Soni



NEML Bashi, Pat. Ltd. Hqee. tower I-B-2nd floor.

Plot No. 3 Sec. 29 Gurgaon Haryana.

00001

प्रमोद कुमार शर्मा
31/10/2017
वकील



928483

(2)

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

764660

नाम	बैंक का नाम	राशि	डि०डि० नं०/यूटी०आर० नं०	दिनांक
सत्यराम	यस बैंक गोरखपुर उ०प्र०	16,26,245	127084	3.01.2018

विक्रेता द्वारा इस बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले उपरोक्त वर्णित भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि कर दी गई है।

और चूंकि खरीदार ने अब विक्रेता को इस बिक्री विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया है, जिसे विक्रेता इसके आगे जिस प्रकार प्रस्तुत किया है सहमत हो गया है;

अब यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि खरीदार इस बिक्री विलेख के निष्पादन पर या उससे पहले विक्रेता को उपरोक्त प्रतिफल राशि की पूर्ण और अंतिम स्वीकृत प्रतिफल देय राशि का भुगतान कर दिया, विक्रेता की ओर से भूमि और उसका प्रत्येक हिस्सा, खरीदार के पक्ष में हमेशा के लिये विमुक्त, रिलीज और डिस्चार्ज करना होगा जिसमें उसके पेड़, फसलें, कुआँ, दयूब/बोर-वेल, कोई भी संरचना या कुछ भी ऐसा जो वहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित हैं, और किसी भी प्रकार की कोई उत्पादित वस्तु जो कुछ भी है जो निष्पादन तारीख तक कथित संपत्ति पर उपलब्ध है जिसके, मालियत परस्टाम्पशुल्क अदा किया गया है तथा इस विक्रय पत्र पर वर्णित होगा विक्रेता एतद्वारा खरीदार को हमेशा के लिए में कृषि भूमि जिसका चक होल्डर नं० 397 के प्रस्तावित गाटा सं० 16मि० व 16/1मि० व गाटा सं० 17मि० कुल विक्रित रकबा 0.135हे० स्थित स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है उसकी अनुमति, बिक्री, हस्तांतरित और भरोसा, सभी, नालियों, रास्ते, मार्ग, विशेषाधिकार, भोगाधिकार, लाभ, फायदों, अधिकारों, सदस्यों और साजों सामान के साथ, कथित संपत्ति के संबंध में जो कुछ भी है या उसके साथ उसका जो भी सरोकार है या उसी के साथ या अब उसके किसी भाग को या अब तक किसी भी समय जो उसके पास है, जिसका उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके कब्जे में है या जिसका वह आनंद उठा रहा है या प्रसिद्ध या हिस्से के रूप में जाना जाने वाला भाग या कथित संपत्ति को समस्त विलेख, दस्तावेजों, लिखित कागजात, वाउचर और कथित संपत्ति के

7/04/18

Suni



N.CML Bdr. Pvt. Ltd. 2nd floor tower 2 B. Wing, 5th floor

Plot no 3 sec. 19 Gurgaon Haryana.

00001

प्रमाणित किया जाता है
यह प्रमाणित किया जाता है
यह प्रमाणित किया जाता है



00000

00000

(2)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	प्रमाणित
00000	00000	00000	00000

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

AZ 688830

स्वामित्व के अन्य साक्ष्यों के साथ या उसका कोई हिस्सा और सभी एस्टेट, अधिकार, मालिकाना, हित, उपयोग, विरासत, संपत्ति, कब्जा, लाभ, दावा और मांग के साथ जो कुछ भी कानूनन और विक्रेता के इस संपत्ति पर या उसके अंश पर हैं या उनका कोई भाग रखने के लिये है या रोकने के लिये है वे सभी या उनमें से कोई एक कथित संपत्ति को एतद्वारा स्वीकृति देता है, बताता है और आवस्त करता है या इरादा या अभिव्यक्ति करता है जो उनके साथ होना चाहिए और उसके प्रत्येक अधिकार, स्वत्व और साजो सामान, को खरीदार के इस्तेमाल और लाभ के लिये स्वीकृति, बिक्री, हस्तांतरण और आश्वासन प्रदान करता है हमेशा किराया, दर, कर, मूल्यांकन, देयता और कर्तव्यों के अधीन खरीदार पर लगाए जाएंगे और वे या इसके बाद सरकार या स्थानीय ग्राम पंचायत या इस संपत्ति से संबंधित किसी अन्य सार्वजनिक निकाय को देय होंगे और विक्रेता यहां इसके बाद अपने स्वयं को, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों को, खरीदार को वचन देता है कि विक्रेता द्वारा किसी कार्यवाही, मांग, मामले या किसी चीज के ना होते हुए भी या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों कानूनसंगत या उसके समान किसी के द्वारा, से, माध्यम से, अधीन या उसके लिये वि वास करते हुए दावा करने पर, और विक्रेता अपने स्वयं के अच्छे अधिकार, पूर्ण भावित और सम्पूर्ण अधिकार के साथ खरीदार को उपरोक्त ढंग से विलेख निष्पादन की स्वीकृति, हस्तांतरण, बिक्री, और आश्वासन या इरादा या अभिव्यक्ति करता है।

और विक्रेता ने इस विक्रय विलेख के निष्पादन से तुरन्त पूर्व खरीदार को कथित खाली संपत्तियों पर भान्तिपूर्वक मौलिक कब्जा सौंप दिया है और खरीदार के लिए यह वैध होगा कि वह समय-समय पर और इसके बाद हर समय इसे अपने पास शांतिपूर्वक रखे, कथित संपत्तियों पर कब्जा रखे, कब्जा प्राप्त करे, उनका आनंद उठाए और जो एतद्वारा उसे साजो सामान के साथ हस्तांतरित की गई हैं और वह चाहे तो किराया प्राप्त करे, अन्य फायदे और लाभ उठाये, और उस पर और उसके हर हिस्से का अपने स्वयं के लिये उपयोग करे और बिना किसी मुकदमे/अभियोग, वैध/कानूनी बेदखली, रुकावट, दावे और/या मांग जो कोई भी भविष्य में यदि विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से कानूनसंगत तरीके से या उस जैसा दावा किया जाता है, वह स्पष्ट रूप से और पूरी तरह दोषमुक्त, उसका हक बहाल किया पाया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिये कथित संपत्ति को उसे खोना पड़ता है या किसी भी तरह से अन्यथा विक्रेता द्वारा अच्छे और पर्याप्त रूप से उसका बचाव किया जाएगा, उसे सभी पुरानी अन्य सम्पदा, मालिकियत,

2-11-12



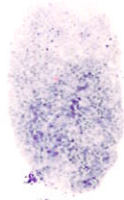
Guni



9000 1/2 992 MICM-L-04786



संस्कृत-
विभाग-
प्रमुख-
कोट-
द्वारा-
प्रमाणित-
है-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

DT 437646

शुल्कों और/या प्रभार जो देय थे या जिनका अब भुगतान कर दिया है, जिसके लिये विक्रेता द्वारा उसके या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विधिवत या समान रूप से दावा करने या उनके द्वारा दावे के लिये खरीदार को हानि पहुंचाये बिना क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त विक्रेता या वे सभी लोग जो कानूनन या उसके समान किसी सम्पदा, स्वत्वाधिकार, या हित या कथित सम्पत्ति में कोई अंश का दावा करते हैं या जिनका कथित सम्पत्ति में कोई हिस्सा है विक्रेता या उनके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को समय समय पर और एतद्वारा किसी भी समय खरीदार के अनुरोध और लागत पर सभी न्यायसंगत कार्यवाहियां, समझौते, चीजें, मामले, सम्पत्ति हस्तांतरण और कानून का आ वासन जो कुछ भी है खरीदार के उपयोग के लिये कथित सम्पत्ति और उसके किसी हिस्से को एतद्वारा स्वीकृति और हस्तांतरण के लिये वह सब उपरोक्त तरीके से करना होगा जैसा खरीदार, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों या हस्तांतरियों या कानूनी सलाहकारों द्वारा किया जाना तर्कसंगत आवश्यक होगा।

और विक्रेता घोषित करता है कि कथित संपत्ति स्वयं अधिग्रहीत संपत्ति है और साफ, बिक्री योग्य और सभी प्रभारों से मुक्त है और यह कि केवल विक्रेता ही संपत्ति का एकमात्र हकदार/स्वामी है और विक्रेता खरीदार की क्षतिपूर्ति के लिये सहमत है और वह खरीदार, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादकों, प्रशासकों और हस्तांतरियों की सभी कार्यवाहियों, दावों, नुकसान, अभियोगों, लागत और खर्च की भी क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार द्वारा किये जा सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के दावे के परिणामस्वरूप खरीदार को खर्च या नुकसान भुगताना पड़ सकता है।

और विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित संपत्ति में से गुजरने के लिये किसी को भी सार्वजनिक रास्ते का अधिकार नहीं होगा या ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके अंतर्गत ग्रामीण या उनके मवेशी कथित संपत्ति के रास्ते में से पैदल या अन्यथा गुजर सकें।

और विक्रेता आगे वचन देता है निष्पादन की वर्तमान दिनांक तक कथित संपत्ति से संबंधित सभी देय राशियों का भुगतान किया जा चुका है और इस संबंध में पूर्व भूस्वामी या किसी अन्य प्राधिकारी इत्यादि को कोई भी राशि किसी भी प्रकृति में देय नहीं है। बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख तक कर कर यानि ऑकलन कर, इत्यादि का भी भुगतान कर दिया गया है।

24/04/14



Guni





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(६)

DT 437647

यदि खरीदार को कथित संपत्ति का कब्जा सौंपने तक किसी प्राधिकरण को कोई राशि का भुगतान देय है तब विक्रेता उसका भुगतान करने के लिये सहमत है और यह कि उसके बाद कथित संपत्ति का खरीदार कब्जा प्राप्त करने के बाद सभी देय राशियों का भुगतान करने का हकदार होगा। विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित संपत्ति साफ और बिक्रीयोग्य है और बिना किसी संदेह के हर तरह की कुर्की और प्रभार से मुक्त है और एतद्वारा सहमत है और विक्रेता ऐसी सभी कार्यवाहियों, विलेखों, दैनदारियों, कार्यवाहियों, दावों, मांगों, अभियोगों और खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है जो किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या कथित संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्राधिकरण से उत्पन्न हुई या हो सकती हैं।

और विक्रीत सम्पत्ति में कोई निर्माण नहीं है और पक्षगण भारत के नागरिक हैं। विक्रीत सम्पत्ति के 300 मीटर के त्रिज्या में कृषि कार्य होता है। उक्त सम्पत्ति कृषि भूमि है तथा कृषि प्रयोज्य हेतु क्रय की जा रही है। विक्रीत सम्पत्ति पर फसलें, कुंआं, द्यूब/बोर-वेल आदि नहीं हैं।

इस बिक्री-खरीद लेनदेन के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, टाइटिंग, प्रिंटिंग और प्रतिलिपि शुल्क के साथ ही एडवोकेट फीस सहित सभी खर्च खरीदार द्वारा वहन किये गए हैं। विक्रेता ने एक बार फिर पुष्टि कर दी है कि उसे पूरी सहमत प्रतिफल राशि प्राप्त हो गई है और खरीदार से उपरोक्त संपत्तियों के एवज में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। विक्रेता ने अपनी उक्त भूमि को पूर्ण रूप से क्रेता को विक्रय करते हुए कब्जा दे दिया है इसके अतिरिक्त, विक्रेता ने हिंदी भाषा में लिखे इस विलेख के सभी खंड, नियम व शर्तें सुन या पढ़कर समझ लिया हैं। क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह इस विक्रय विलेख के द्वारा ही विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेवे, विक्रेता को कोई एतराज नहीं होगा।

संपत्ति अनुसूची/सीमाएं

चक होल्डर नं0 397 के प्रस्तावित गाटा सं0 16मि0 व 16/1मि0 व गाटा सं0 17मि0 कुल विक्रीत रकबा 0.135हे0 स्थित स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती जिसे संलग्न मानचित्र में दर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार हैं:

2-104/1M

Suni





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

DT 437648

चौहद्दी :-

पूरुब:-

चक रोड एवं चक होल्डर नं० 119

पश्चिम:-

चक होल्डर नं० 208

उत्तर:-

शेष रकबा सह खातेदार चक होल्डर नं० 397

दक्षिण:-

रेलवे लाइन

इसको साक्षी मानकर पार्टियों ने एतद्वारा उपरोक्त बिक्री विलेख पर गवाहों के समक्ष दिनांक 8.11.18 को स्वस्थ मन,चित्त, बिना जोर दबाव के अपनी स्वीकृति के साथ हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेशित किए गए)

विक्रेता / विक्रेता के नाम)

(1) श्रीमान सत्यराम)

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेशित किए गए)

क्रेता के नाम के भीतर)

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्रा०लि०)

बजरिये उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

श्री. सुनील चौरसिया)

2404212

Suni



18/02/18

पुष्टि विलेख 52

9969697226 999936

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 1626245 स्टाम्प शुल्क- 81350 बाजारी मूल्य - 1626245 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

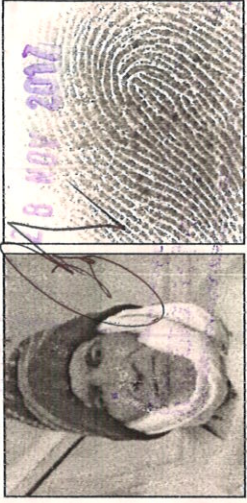
श्री सत्यराम,

पुत्र श्री मोतीलाल

व्यवसाय : कृषि

अलेखरी निवासी: सुल्तानगंज तप्पा शिवपुर तहसील भानपुर

नाडगिरी जिला



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/01/2018 एवं 02:13:09 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ए० मलिक भानपुर उपनिबंधक

उप निबंधक : भानपुर

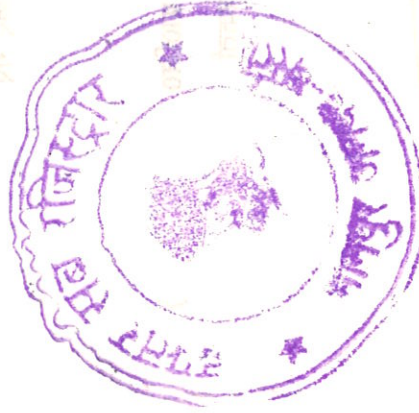
बस्सी

84375A 7D

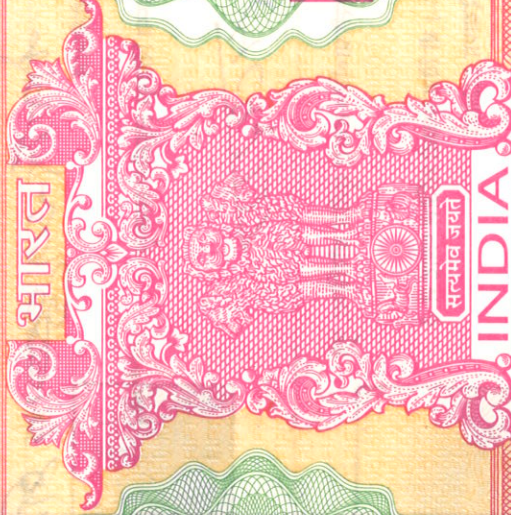
08/01/2018

84375A 7D

रजिस्ट्रार



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 720197

गवाहान-

1. पूरा नाम- अमरुष राम जी मिश्रा
पिता का नाम- राधा राण मिश्रा
पूरा पता-बी- 2/51 265 अचारी वाजार फेजाबाद
मो नं- 99198 56000

2.

- पूरा नाम- रामदीन शुक्ला
पिता का नाम- रामप्रियत
पूरा पता- रामपुरा लाला मिश्रा पाल बागियाल ठा भानु मिश्रा बाहि

तहरीर दिनांक-

मसविदाकर्ता:- डा. शो. न. गुप्ता एम. डी. डी. वी. के. एडवोकेट

2-1-14/12



निष्पादन लेखपत्राविद सुनिने व समझने मजसुमे व प्रविधनकोश ६ प्रलेखानुसार उक्त ३ पक्षों पर कार्य

विक्रेता: 1

मोर्टिस-29 दुस्वार प्रिन्सिपल

श्री सत्यराम, पुत्र श्री मोतीलाल

निवासी: सुल्तानपुर तप्पा शिवपुर तहसील भानपुर

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

HC42/12

श्री एन सी एम एल बस्ती प्रांति० द्वारा सुनील चौरसिया, पुत्र

श्री मनोहर लाल

निवासी: इफको टावर-1 बी विंग पाचवी मंजिल प्लाट नं-3

सेक्टर 29 गुडगांव हरियाणा 122001

व्यवसाय: व्यापार

Suni

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री रामदीन शुक्ला, पुत्र श्री राममिलन

निवासी: सुल्तानपुर तप्पा शिवपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2 श्री श्री देवशु राय

श्री रामजी मिश्रा, पुत्र श्री राधासरन मिश्रा

निवासी: 2/5/265 कंधारी बाजार फैजाबाद

व्यवसाय: नौकरी

गुणवत्

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमनुसार

लिए गए हैं।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

ए० मलिक भानपुर उपनिबंधक

उप निबंधक: भानपुर

बस्ती

प्रिंट करें

7* 9956
706 909276-9956

मुष्टि विलेख 60

7/8/2018

अका. 105। गुणा
ब्लेक. 105। गुणा

बही संख्या 1706 के पृष्ठ 375 से 396 तक क्रमांक 51 पर
दिनांक 08/01/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ए० मलिक भानपुर उपनिबंधक
उप निबंधक : भानपुर
उस्ती

00001-00001



वाचक 15, धारा-12
24-3-18
49